संख्या-39/सीपी 518/84-2-2013-सीपी 11/2003

प्रेषक,

हरिश्चन्द्र,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,

निबन्धक,
राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग,उ.प्र.,
सी-1, विक्रान्त खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ ।

उपभोक्ता संरक्षण एवं बांट माप अनुभाग-2 लखनऊ : दिनांक : 31 जनवरी,2014

विषय राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, उ.प्र. में चतुर्थ श्रेणी के पदों को आउटसोर्स से भरे जाने के संबंध में ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-3593/एस0सी0डी0आर0सी0 यू0पी0/अधि 38/13, दिनांक 30 दिसम्बर, 2013 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2. इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्रम विभाग के परिपत्र के क्रम में आप द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचनानुसार प्रतिमाह मूल मजदूरी रूपया 2600/- तथा मंहगाई भत्ता रूपया 2600/- का योग रूपया 5200/- होता है। यह रूपया 7000/- से 1800/- कम है। अत: कृपया यह अवगत कराने का कष्ट करें कि कितने प्रकार के टैक्स एवं अन्य देयों को सम्मिलित करने पर पारिश्रमिक की धनराशि रूपया 7000/- प्रतिमाह से अधिक हो रही है।

भवदीय,
(हरिश्चन्द्र)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in